

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.9(09)चिस्वा/2/1963/पार्ट

जयपुर, दिनांक:

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2021 दिनांक 08.10.2021 के अतिक्रमण में आदेश जारी किये जाते हैं कि डा. राजेश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, मुख्यालय, जयपुर अपने पद के साथ-साथ रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल, जयपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार आगामी आदेशों तक संपादित करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निशा मीना)

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं पंचायती
राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- 4- निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
- 5- अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल, जयपुर
- 6- रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल, जयपुर
- 7- समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
- 8- समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
- 10- संबंधित अधिकारी
- 11- रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
6023475



Digitally signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.03.08 17:34:17 IST
Reason: Approved